Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/201

श्रीमती सुशीला बाई आयु 66 वर्ष पत्नी स्व0 ब्रह्मानन्द जाति ब्राह्मण निवासी 28/425, गुरूद्वारा, गुमानपुरा कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. ज्ञानेश श्रृंगी आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 ब्रह्मानन्द जी जाति ब्राह्मण ।
3. दीपेश श्रृंगी आयु 36 वर्ष पुत्र स्व0 ब्रह्मानन्द जी जाति ब्राह्मण ।
4. नीलम श्रृंगी आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 ब्रह्मानन्द जी पत्नी श्री रामबाबू टाक जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी जिला बून्दी ।
5. अर्पणा श्रृंगी आयु 59 वर्ष पुत्री स्व0 ब्रह्मानन्द जी पत्नी श्री केवल प्रकाश श्रृंगी हाल निवासी खानपुर जिला झालावाड जाति ब्राह्मण निवासी 28/425, गुरूद्वारा गुमानपुरा कोटा ।
6. कृष्णानन्द श्रृंगी आयु 60 वर्ष पुत्र स्व0 राम प्यारेलाल जी श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी 28/425 गुरूद्वारा गुमानपुरा कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 10/दावा/2012

श्रीमती सुशीला बाई आयु 66 वर्ष पत्नी स्व0 ब्रह्मानन्द जाति ब्राह्मण निवासी 28/425, गुरूद्वारा, गुमानपुरा कोटा ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. ज्ञानेश श्रृंगी आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 ब्रह्मानन्द जी जाति ब्राह्मण ।
3. दीपेश श्रृंगी आयु 36 वर्ष पुत्र स्व0 ब्रह्मानन्द जी जाति ब्राह्मण ।
4. नीलम श्रृंगी आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 ब्रह्मानन्द जी पत्नी श्री रामबाबू टाक जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी जिला बून्दी ।
5. अर्पणा श्रृंगी आयु 59 वर्ष पुत्री स्व0 ब्रह्मानन्द जी पत्नी श्री केवल प्रकाश श्रृंगी हाल निवासी खानपुर जिला झालावाड जाति ब्राह्मण निवासी 28/425, गुरूद्वारा गुमानपुरा कोटा ।
6. कृष्णानन्द श्रृंगी आयु 60 वर्ष पुत्र स्व0 राम प्यारेलाल जी श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी 28/425 गुरूद्वारा गुमानपुरा कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 26.11.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रसाद पुरोहित एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 से 6 की ओर से अभिभाषक श्री बिरधी लाल श्रृंगी एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 26.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

26/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/201

श्रीमती सुशीला बाई आयु 66 वर्ष पत्नी स्व0 ब्रह्मानन्द जाति ब्राह्मण निवासी 28/425, गुरूद्वारा, गुमानपुरा कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. ज्ञानेश श्रृंगी आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 ब्रह्मानन्द जी जाति ब्राह्मण ।
3. दीपेश श्रृंगी आयु 36 वर्ष पुत्र स्व0 ब्रह्मानन्द जी जाति ब्राह्मण ।
4. नीलम श्रृंगी आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 ब्रह्मानन्द जी पत्नी श्री रामबाबू टाक जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी जिला बून्दी ।
5. अर्पणा श्रृंगी आयु 59 वर्ष पुत्री स्व0 ब्रह्मानन्द जी पत्नी श्री केवल प्रकाश श्रृंगी हाल निवासी खानपुर जिला झालावाड जाति ब्राह्मण निवासी 28/425, गुरूद्वारा गुमानपुरा कोटा ।
6. कृष्णानन्द श्रृंगी आयु 60 वर्ष पुत्र स्व0 राम प्यारेलाल जी श्रृंगी जाति ब्राह्मण निवासी 28/425 गुरूद्वारा गुमानपुरा कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद पुरोहित, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री बिरधी लाल श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 से 6 की ओर से ।
3. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम वादिनी एवं प्रतिवादी कम 2 से 6 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर वाके ग्राम मण्डानरा में स्थित है । उक्त भूमि में वादिनी का नाम सहवन से फौती इंतकाल में दर्ज होने से रह गया । वादिनी एवं प्रतिवादी कम 2 से 5 स्वर्गीय ब्रह्मानन्द आत्मज रामप्यारे लाल के वारिस हैं ।

वादिनी स्वर्गीय ब्रह्मानन्द की पत्नी है जिसका नाम बतौर खातेदार जमाबन्दी में दर्ज होना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 1581 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा आराजी पूर्व खातेदार स्वर्गीय प्यारेलाल के खाते में दर्ज थी । वर्तमान में आराजी का रकबा पुराना 15 बीघा 05 बिस्वा से हैक्टर में परिवर्तन के अनुसार 2.47 दर्ज होना चाहिए था जबकि सेटलमेंट ने आराजी का रकबा कम कर 2.31 कर दिया अर्थात् 0.16 हैक्टर आराजी पक्षकारान के खाते में से कम कर दी जो दुरूस्त योग्य है ।

3. अतः वादिनी का वादपत्र स्वीकार कर वादिनी का नाम आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे इंतकाल खोला जावे । वादिनी व प्रतिवादी कम 2 से 5 का वर्तमान खरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी कम 6 का भी 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे । वर्तमान जमाबन्दी में आराजी पूर्व खसरा नम्बर 1581 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा आराजी दर्ज थी उसके अनुसार वर्तमान में आराजी के नये नम्बर 1551 में रकबा 2.31 के स्थान पर 2.47 रकबा दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादिनी व प्रतिवादी कम 2 से 5 का वर्तमान खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर आराजी में से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 6 का भी 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा ने अपने जवाब दावे की चरण संख्या 2 में यह स्वीकार किया है कि पूर्व खसरा नम्बर 1581 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्यारेलाल उर्फ राम प्यारेलाल के नाम खाते में दर्ज है । वर्तमान जमाबन्दी व गत के मुकाबले रकबे में 0.13 हैक्टर भूमि की कमी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी का पुराना रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा से हैक्टर परिवर्तन के अनुसार 2.44 हैक्टर बनते हैं जो वर्तमान में खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर दर्ज कर रखा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 निरस्त फरमाया जाकर नये खसरा नम्बर 1551 में रकबा 2.31 हैक्टर के स्थान पर रकबा 2.44 हैक्टर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट के खाते में पुराना खसरा नम्बर 1581 की रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा आराजी दर्ज थी जिसके हाल खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर कायम किये गये । 15 बीघा 05 बिस्वा से हैक्टर में परिवर्तन के अनुसार 2.44 हैक्टर दर्ज होना चाहिए था जबकि सेटलमेंट विभान ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 से 6 की वर्तमान खातेदारी आराजी का रकबा 0.13 हैक्टर कम कर उनके वर्तमान खाते में खसरा नम्बर 1551 में 2.31 हैक्टर दर्ज कर दिया है जो कि 2.44 दर्ज होना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया है जिसमें पक्षकारों संभाग से सहखातेदार घोषित किया है परन्तु कम किये गये

रकबे को दुरूस्त करने बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया है जो आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 निरस्त किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट कम 2 से 6 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट को स्वयं यह अवगत कराना होता है कि उनके किस खसरा नम्बर की भूमि कम की जाकर किस खसरा नम्बरान में शामिल की गई है । वादी को स्वयं अपना वाद साबित करना होता है । प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने स्वयं अपने वाद को साबित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के खिलाफ हक, घोषणा का दावा पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि वादिनी के पति का स्वर्गवास हो चुका है, इंतकाल खोलते समय वादिनी कम 1 का नाम खाते में दर्ज नहीं किया गया है । आराजी में वादिनी और प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 का आधा और प्रतिवादी कम 6 का आधा हिस्सा है, सहवन से जमाबन्दी में प्रतिवादी कम 2 से 5 का हिस्सा 1/3 और प्रतिवादी कम 6 का 2/3 हिस्सा दर्ज किया गया है साथ ही सेटलमेंट ने आराजी का रकबा भी 2.31 हैक्टर दर्ज किया है जबकि रकबा 2.44 हैक्टर दर्ज होना चाहिए था । वादी ने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/3 और रेस्पोडेन्ट कम 6 का हिस्सा 2/3 दर्ज है । नकल नामान्तरकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1053 से खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट कम 2 से 5 के नाम 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट कम 06 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 पेश की है । नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 प्रदर्श – 4 पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट कम 2 से 5 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट कम 6 का हिस्सा 2/3 दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1581 के हाल खसरा नम्बर 1551 रकबा 2.31 हैक्टर कायम हुआ है ।

11. वादी अपीलान्ट का दावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादिनी व प्रतिवादी कम 2 से 5 का 1/2 हिस्सा ओर प्रतिवादी कम 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया है । अपीलान्ट ने अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि सेटलमेंट विभाग के द्वारा इनके खाते की आराजी कम दर्ज की गई है, जबकि मौके पर उनका पूरे पर कब्जा है । सेटलमेंट विभाग को आराजी कम करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट की रकबा दुरूस्ती की प्रार्थना को अस्वीकार करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

12. वादी अपीलान्ट ने अपने दावे में न तो यह अवगत करवाया है कि उनके खाते की आराजी कम करके किस खसरा नम्बर में शामिल कर दी गई है और न ही हाल खसरा नम्बर व साबिक खसरा नम्बर दर्शाते हुए नजरी नक्शे की प्रति पेश की है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वादी अपीलान्ट के खाते की आराजी कम करके किस खसरा नम्बर में शामिल की गई है । वादी अपीलान्ट अपने इस कथन को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में असमर्थ रहा है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी अपीलान्ट के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2014 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा